Joint Committee Inspection Report in the matter of O.A No. 179 of 2023 Rajendra Tyagi V/s State of Uttar Pradesh

Background:

In the aforesaid matter, Shri Rajendra Tyagi registered a letter petition dated 17.09.2022 to Hon'ble National Green Tribunal raising grievance that one Shri Vivek Kumar is running an aluminum and copper wire unit and in the manufacturing process, it is melting metal using big furnaces and for the purpose of fuel it is using electricity, domestic gas and coal. Coal is not a permissible fuel in Taj Trapezium Area and use of coal is resulting in emission of hugesmoke causing air pollution having adverse effect on the health of local residents. Several times, complaint was made to various authorities but no action has been taken in the matter.

Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 28.04.2023 in the above O.A No. 179 of 2023 (Rajendra Tyagi V/s State of Uttar Pradesh). The operating part of the order is as below : —

> *"..... we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the formof Image PDF.*
>
> *4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.*
>
> *5. List for further consideration on 18.07.2023.*

As per the Hon'ble National Green Tribunal order Joint Committee was formed having member of MoEF&CC, District Administration and TTZA as a Nodal Agency for coordination and compliance.

Constitution of the committee:

1. Dr.(Ms.) Satya, Additional Director/Scientist-E, IRO Lucknow, Ministry of Environment, Forest & Climate Change. **(Annexure-1)**
2. Additional District Magistrate (City), Agra has been nominated by District Magistrate; Agra vide order dated 23.05.2023. **(Annexure-2)**
3. Chief Town Planner (I/c), Agra Development Authority, Agra has been nominatedby Member-Convener, TTZA, Agra vide order dated 19.05.2023. **(Annexure-2)**

Observations:

- Considering the complaint raised by the complainant the committee members visited the site on 16.06.2023.

- At the time of inspection complainant Shri Rajendra Tyagi was present. Shri Dinesh and Shri Bantu were present on behalf of Shri Vivek Kumar (owner of the unit as mentioned in the complaint) on the day of site visit. Mr. Dinesh told the committee members that Mr. Vivek Kumar had sent him (Mr. Dinesh) to appear before the committee as a representative of Shri Vivek Kumar. It was informed by Mr. Dinesh that Mr. Vivek Kumar himself is unable to come as his father is admitted in the hospital due to ill health.
- On the day of site visit the unit was found locked. The committee asked Mr. Dinesh to open the lock of the unit.

a. Use of big furnances, electricity, domestic gas and coal:

- On the day of site inspection the unit was found closed. No big furnaces & plant machinery has been found installed at the said complaint site. No storage of coal and domestic gas was found on the day of the site inspection.
- Electricity was not found available on the day of site inspection. No commercial / industrial activity was found at the time of inspection. As per letter dated 28.06.2023 provided by Mr.Vivek Kumar that the factory has been closed by them since 19.05.2023 **(Annexure-3)**. All the equipment installed in it such as motors etc. has been removed earlier. It has also been mentioned in the letter that they did not use any kind of wood, coal, etc. rather the factory was operated with electricity.
- Shri Dinesh informed that earlier metal wire drawing was being done by cold process only. Metal wire drawing through cold process falls in white category at s.no.96 as per U.P. Pollution Control Board, Lucknow letter dated 09.01.2019 **(Annexure-4)**, which does not needs any furnace and air polluting fuel (coal).

b. Adverse effect on the health of local residents due to air pollution:

- A letter has been sent by Nodal Officer, T.T.Z. Authority, Agra to Chief Medical Officer, Agra on dated 16.06.2023 to inform about the health related issues of the said area's residents **(Annexure-5)**. Chief Medical Officer, Agra has informed vide letter dated 03.07.2023 **(Annexure-6)** that a committee constituted by CMO, Agra regarding examination of health issues / problems of nearby residents and also conduct a special medical camp with the help of doctors team and other paramedical staff. As per submitted letter door to door survey was conducted to assess the impact on the health of the people within the periphery of 250 mtr. of the said unit with the help of students of paramedical institute regarding diagnosis of any accidental disease (respiratory disease, skin disease, non-communicable disease etc.) in any member of any age in their house-holds or accidental death due to any disease of any number. The health related survey of about 170 people was conducted in about 80 houses as mentioned in the submitted report.

The main points of the submitted report are as follows:

1. According to the above survey, in the people living near the said factory, in the last 03 to 04 years, there has been no information about the origin of any sudden disease (respiratory disease, skin disease, non-communicable disease etc.) in any member of any age or sudden death due to any disease of any member.
2. As per the above report, during the survey, the said factory was found locked.
3. During the survey conducted on 30.06.2023, the team did not find any evidence of discharge/smell of any suspicious chemical near the drain near the said unit.
4. As per the committee report no evidence of any adverse effect on the health of the people living near the said unit.

c. Action taken by the various authorities:

A letter has been sent to the UPPCB, Agra by Nodal Officer, T.T.Z. Authority, Agra on 16.06.2023 in compliance of the Hon'ble NGT order in the matter of OA no. 179/2023 Rajendra Tyagi vs State of UP **(Annexure-7)**. Following information has been submitted by the UPPCB, Agra vide letter no.660/OG-686/2023 dated 30.06.2023 **(Annexure-8)** :

- As per information furnished by UPPCB, Agra, a complaint has been received by UPPCB, Agra through IGRS portal on 13.09.2022. This complaint letter was in the name of Shri Rajendra Tyagi R/o Tyagi Nagar, Sewla Jaat, Agra **(Annexure-8a)**. The name of the factory was mentioned by the complainant as **"Trimurti Wire & Chain"**.
- Through the complaint letter, it was informed that a factory is operating illegally in the applicant's locality, from where black smoke emanates. Due to this, the air is polluted, and people have breathing problems. The applicant wants to get the factory closed after checking it. Please solve the problem as soon as possible as mentioned in complaint.
- Inspection has been done by UPPCB on 13.09.2022 after receiving the complaint **(Annexure-8b)**. As submitted report of UPPCB, Agra:

निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर मै0तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा पर इकाई संचालित की जा रही है तथा आस–पास के क्षेत्र में भी अन्य ऐसी इकाइयॉ संचालित हैं। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्ठी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्कैप्स की मेल्टिंग कर कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य किया जाता पाया गया, जिसमें ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता है। इकाई में भट्ठी के संचालन हेतु मै0टोरण्ट पॉवर लि0 द्वारा एल0एम0वी0 6 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है।

उक्त रिपोर्ट में आगे की कार्यवाही करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा

मै0टोरण्ट पॉवर लि0 आगरा को उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 17.09.2022 को पत्र निर्गत किया गया **(Annexure-8c)**।

- A letter dated 23.09.2022 has also been sent by UPPCB, Agra to the Additional District Magistrate (City), Agra regarding disconnection of electricity connection of the said unit **(Annexure-8d)**. Later on, Shri Vivek Kumar submitted affidavit on dated 02.11.2022 to Additional City Magistrate (IV), Agra regarding not using coal/coke/wood in the unit **(Annexure-8e)**. Additional City Magistrate (IV), Agra vide its letter no. 682/ACM-IV directed to UPPCB, Agra to take action as per law **(Annexure-8f)**. As per UPPCB's letter no. 1185/OG-27/22 dated 22.11.2022, the site inspection was done on 16.11.2022 of the said unit M/s Tirupati Wire & Chains (while the name of the factory is indicated in the complaint letter as Trimurti Wire & Chain) 279 Tyagi Nagar, Sewla Jat, Agra and it is found that the small furnace has been removed from the unit and metal wire drawing was being done through cold process only. This report has been sent by the UPPCB, Agra to the Additional City Magistrate (IV), Agra to take necessary action **(Annexure-8g)**.
- To take action against the unit operational in non-confirming zone, letter has been sent by UPPCB, Agra to the Vice-Chairman, Agra Development Authority, Agra dated 22.12.2022 **(Annexure-8h)** with reference of the Hon'ble High Court, Allahabad order dated 13.08.2003 **(Annexure-8i)** passed in W.P.No.34957/2003 (Smt. Mithlesh Jain Vs. U.P. Government & Others), which is as below —

  "We therefore direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the master plan of Agraor in any other city of U.P. If commercial and industrial activities are being carried inany city of U.P. in the area earmarked for residential purposes in the master plan of that city, such activity must immediately be stopped by the authorities."

- UPPCB, Agra again sent a letter dated 09.01.2023 **(Annexure-8j)** to the Vice- Chairman, Agra Development Authority, Agra to take necessary action as per the Hon'ble High Court, Allahabad order dated 13.08.2003.
- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra informed that a Civil Misc. Writ Petition No.40287/2022 (Rajendra Tyagi vs. State of U.P. & Others) has been filed by Shri Rajendra Tyagi in the Hon'ble High Court, Allahabad in which Hon'ble High Court, Allahabad was pleased to pass the order dated 16.02.2023 **(Annexure-8k)** which is as below—

  "*2. Petitioner is aggrieved by the factory being operated by respondent no.8. Accordingto the petitioner that factory has been located within a residential premise as may notbe permitted by the Agra Development Authority. In any case, the factory is causing air and noise pollution which aspect has been ignored by the state pollution authorities.*

3. On the other hand, learned counsel for the pollution board has placed on record written instructions received by him that suggest upon the complaint lodged by the present petitioner, the furnace has been removed. A copy of the written instructions thusreceived has been marked as 'X' and retained on record. It has been further disclosed,at present, wires are being manufactured through cold press method. It is in accordance with law inasmuch as the same is a 'White' category industry.

4. In view of such fact submissions advanced, at present, no interference is warranted. A copy of the written instruction received by learned counsel for the pollution board has been made over to the learned counsel for the petitioner.

5. Accordingly, the present writ petition is **disposed of** *at this stage, leaving it open to the petitioner to pursue his remedy where they may lie."*

- As per letter no. 702/D/A.NI./23-24 dated 28.06.2023 which is from Asstt. Engineer (Enforcement), Agra Development Authority, Agra that case no. भू0प0/एन0एफ0टी0/वी0सी0/01/22–23 has been filed on 28.10.2022 against Shri Vivek Agarwal, Tirupati Wire & Chain (while the name of the factory is indicated in the complaint letter as Trimurti Wire & Chain), 279, Tyagi Nagar, Sewla Jaat, Agra for operation of unit against the land use. In the course of the planned litigation, the operation of the said unithas been stopped by the unit operator. During the site inspection on dated 07.06.2023 it was found that the unit is being not operated at the site presently as mentioned in the above said letter **(Annexure-8I)**.

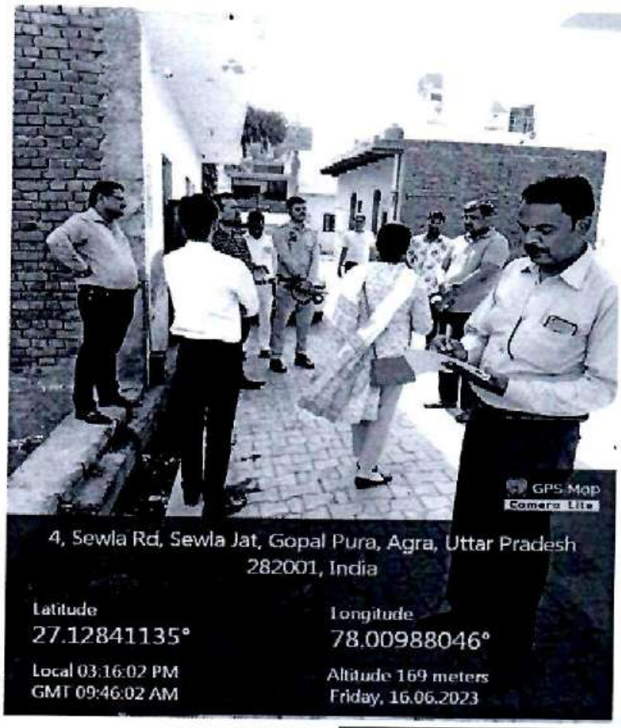

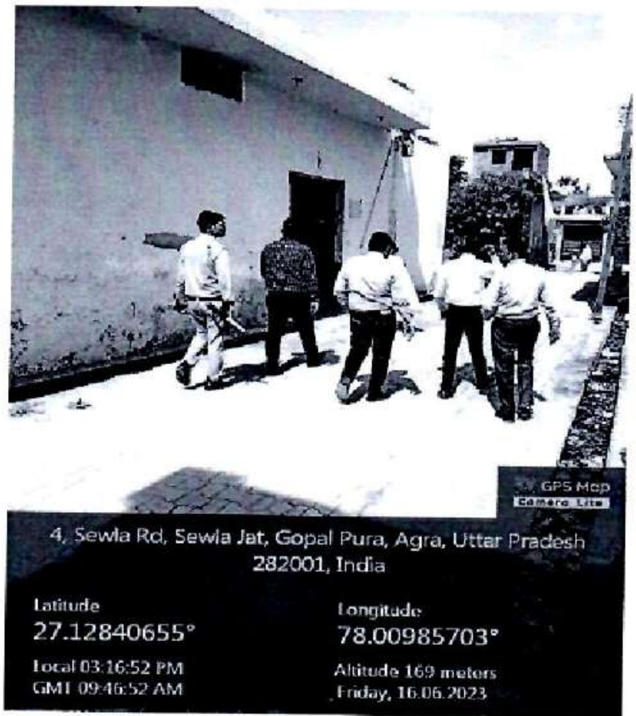

SITE PHOTOGRAPHS

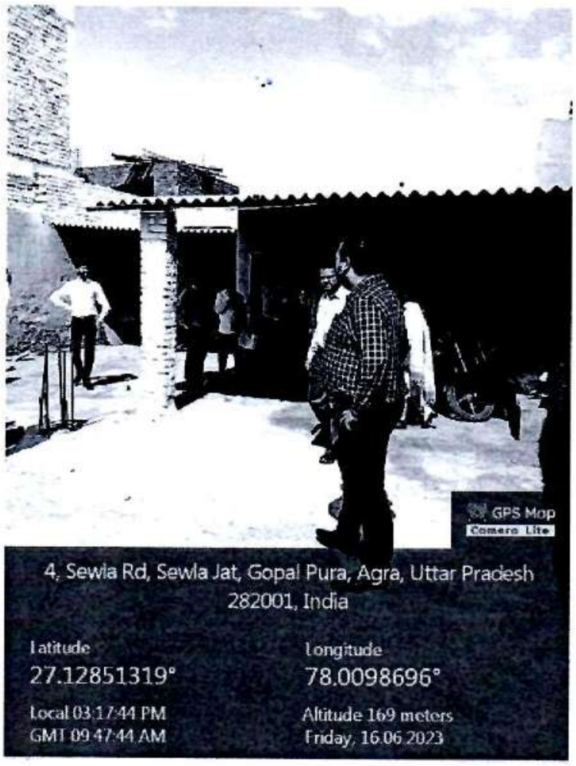

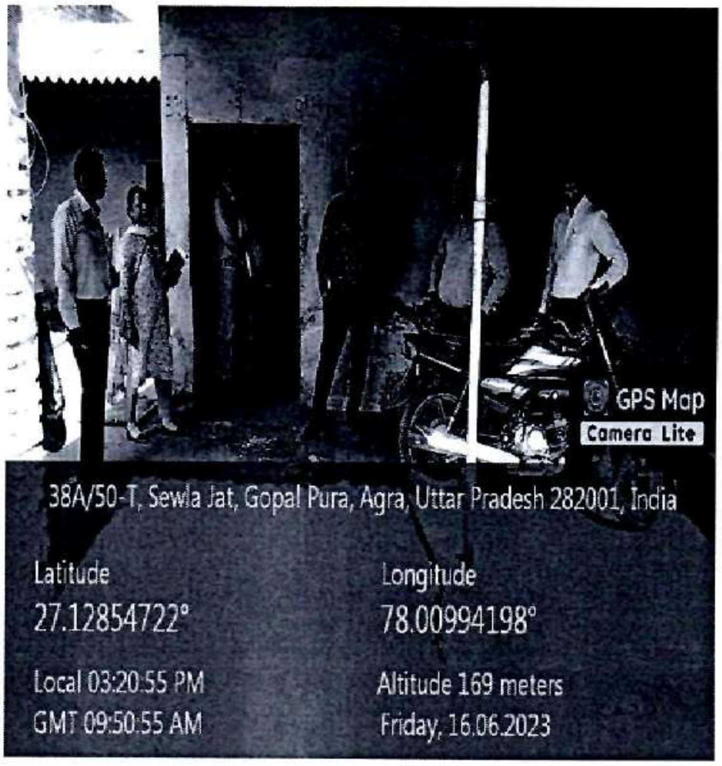

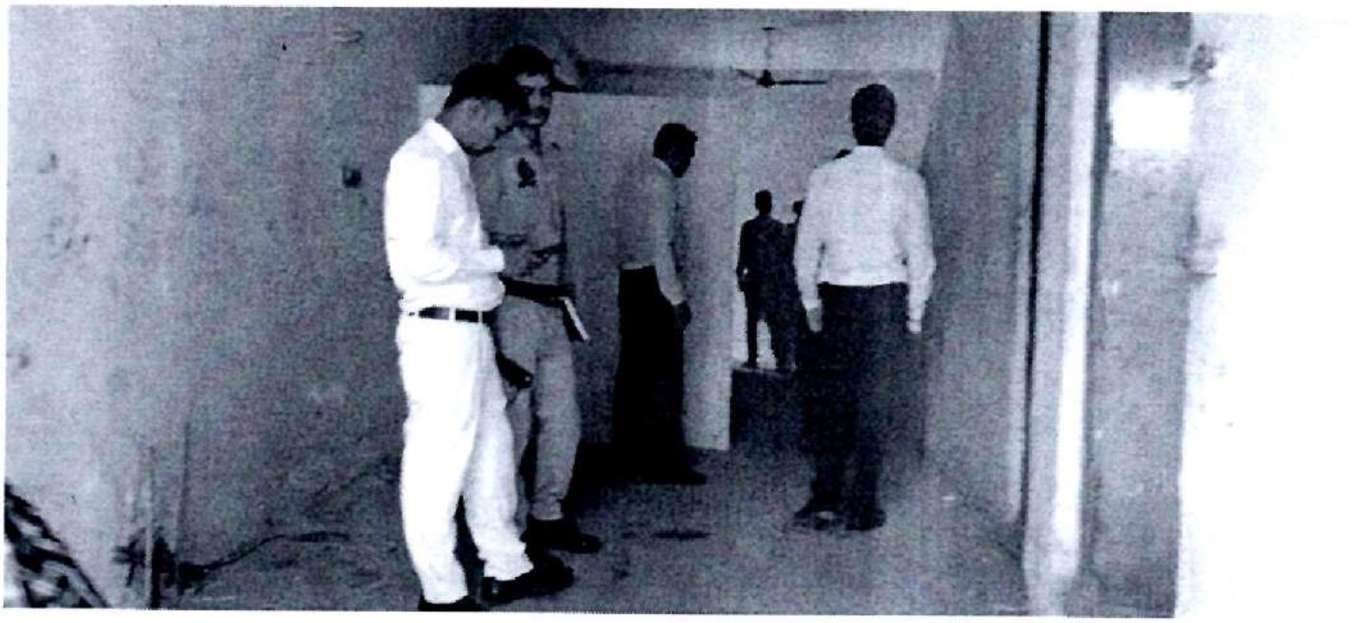

SITE PHOTOGRAPHS

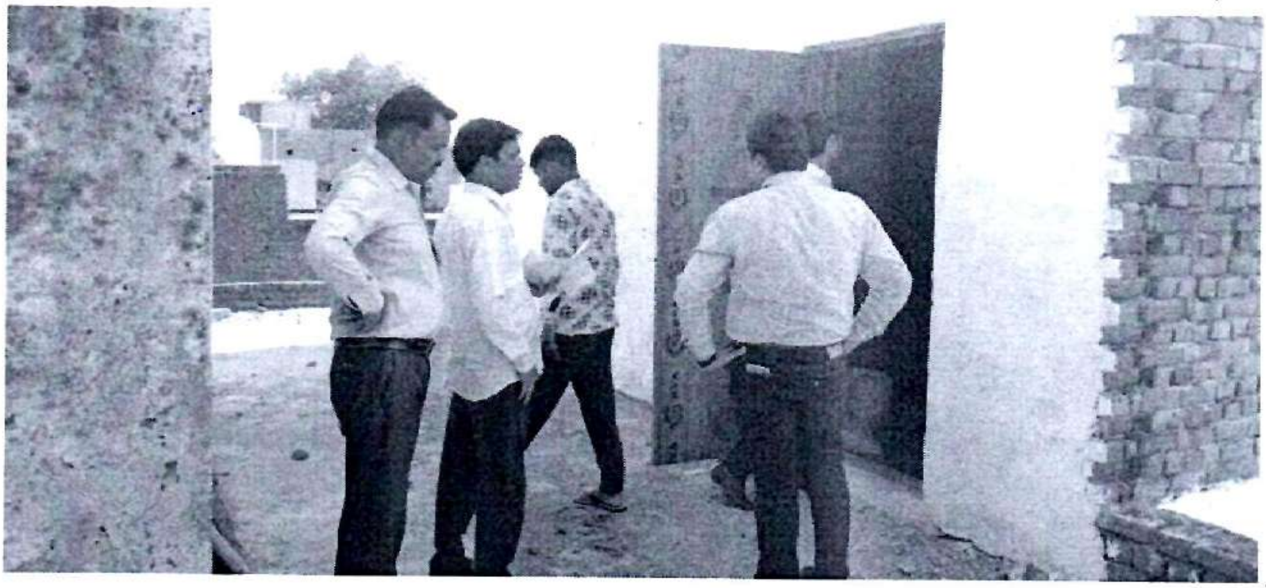

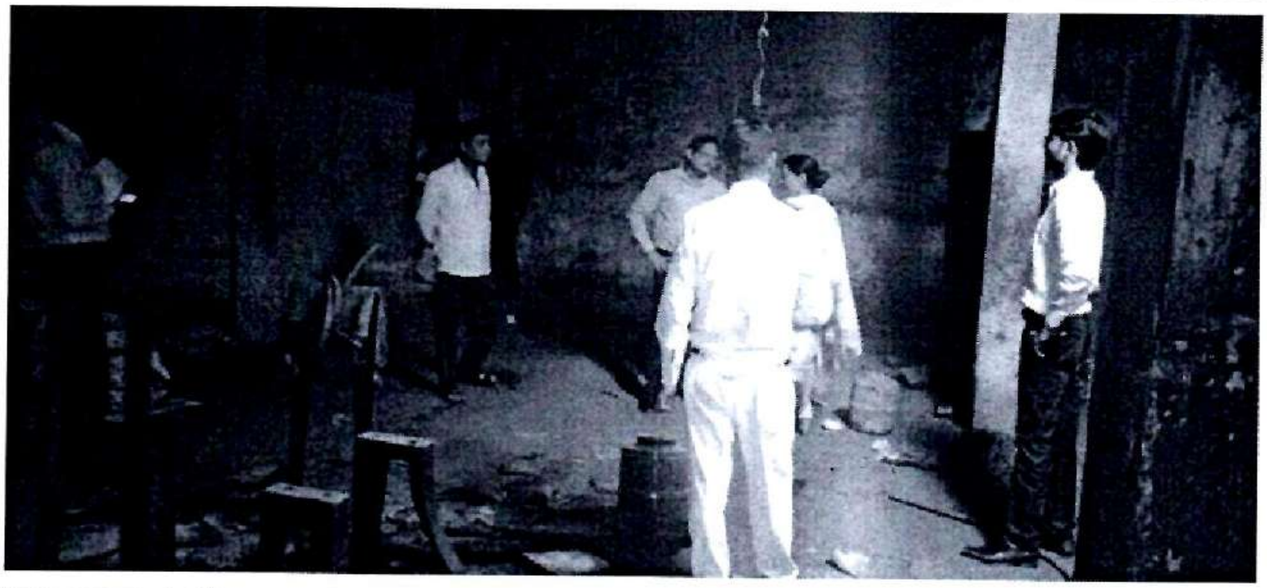

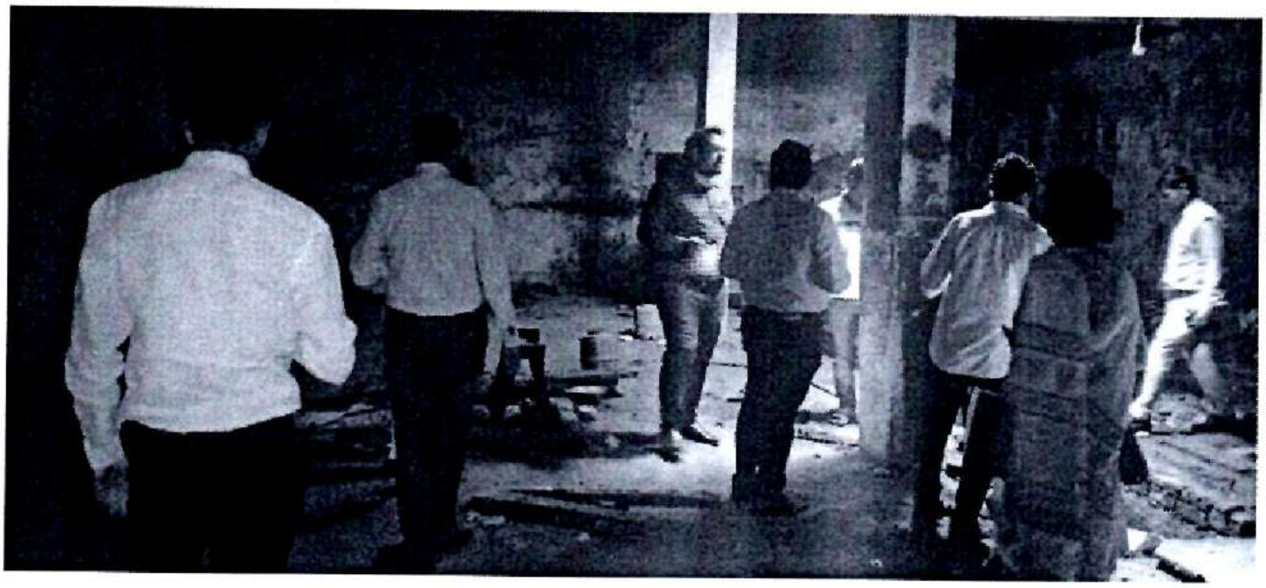

SITE PHOTOGRAPHS

Recommendations:

- It is recommended that to stop commercial / industrial activities in the residential area against the identified land use, U.P. Power Corpn. Ltd./Torrent Power Ltd. should not issue LMV-6 power connections to industries/projects/activities without the permission of the State Pollution Control Board and Development Authorities, to avoid these types of complaints.

Note : As per the inspection report of UPPCB, Agra the name of the unit is M/s Tirupati Wire & Chains, 279, Tyagi Nagar, Sewla Jat, Agra, while the name of the factory is indicated in the complaint letter as Trimurti Wire & Chain. Hence, in reference to the factory name; clarification may be sought from the UPPCB, Agra.

Chief Town Planner (I/c), Agra Development Authority/ Nodal Officer, T.T.Z. Authority,Agra	**Additional District Magistrate(City), Agra**	10.07.23 **Additional Director/Scientist-E, IRO Lucknow, Ministry of Environment,Forest & Climate Change**

No 2871 .../TTZ (PMU)
Dtd 2/6/23

Annex.-1

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

File No. XXI/ENV/NGT/CC/124/2023/90 Dated: 31.05.2023

By-Email COURT MATTER
URGENT

To,

1. **The Commissioner/Chairman**
   Agra Division/TTZ Authority Agra
   Agra.
   Email: commagr@nic.in
2. **District Magistrate**, Agra.
   Email: dmagr@nic.in

VC ADA
1950/P.A.
Commissioner Agra 8/5/23

Subject: In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 179 of 2023, Rajendra Tyagi vs State of U.P. - reg:

Sir,

I am directed to refer to the above cited subject matter. The Hon'ble NGT was pleased to pass the order dated 28.04.2023(copy enclosed).

"......1. This original application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition dated 17.09.2022 sent by Shri Rajendra Tyagi s/o Kalicharan Tyagi, Tyagi Nagar, Sevola Jat, Agra.

2. It is alleged that one Vivek Kumar is running an aluminum and copper wire unit and in the manufacturing process, it is melting metal using big furnaces and for the purpose of fuel it is using electricity, domestic gas and coal. Coal is not a permissible fuel in Taj Trapezium Area and use of coal is resulting in emission of huge smoke causing air pollution having adverse effect on the health of local residents. Several times, complaint was made to various authorities but no action has been taken in the matter.

3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.

5. List for further consideration on 18.07.2023. ....."

That to comply the above order, undersigned has been nominated as representative of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India. You are requested that all the correspondence shall be made on the details given here: Email: rooz.lko-mef@gov.in, and her mobile No. 9453021374.

This is for your information.

Encl: As above

Yours Sincerely

(Dr. (Mrs) Satya)
Additional Director/Scientist 'E'

Annex.-2

विभाग........................
फाइल संख्या....................
क्रम संख्या .... (1)

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण

विवरण व आदेश

प0अ0 / मु0न0नि0(प्र0) / सदस्य-संयोजक / जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख कंसलटेण्ट (ज्युडिशियल), मा0नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (पी.बी.), नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 19.05.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जिलाधिकारी, आगरा एवं टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

सन्दर्भित पत्र के साथ याची श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरन त्यागी, निवासी-त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा अध्यक्ष महोदय, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये शिकायती पत्र दिनांक 17.09.2022 की प्रति एवं मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-179/2023 (राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 की प्रति संलग्न है। उक्त ओ0ए0 में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 28.04.2023 को पारित आदेश निम्नवत् उद्धृत है-

> **"...... 3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.**
>
> **4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.**
>
> **5. List for further consideration on 18.07.2023."**

अवगत कराना है कि याची श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किये गये शिकायती-पत्र दिनांक 17.09.2022 में यह शिकायत की गयी है कि उनके घर के सामने विवेक कुमार द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिजली की केबिल तार एल्युमीनियम एवं कॉपर के तारों को जलाकर एवं गलाकर चैन बनाकर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। इस अवैध फैक्ट्री में दिन-रात मशीनों, भट्टियों में बिजली चोरी कर, घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं कोयला से बड़ी-बड़ी भट्टियों में चोरी के केबिल, बिजली के तार आदि को जलाकर-गलाकर नए बिजली के तार चैन आदि का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा धुंआ, प्रदूषण, गन्ध एवं कैमिकल के उपयोग से उनके तथा उनके परिवारजनों सहित काफी लोगों को सांस लेने एवं शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। याची श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मुख्यतः अवैध फैक्ट्री को बन्द कराए जाने एवं फैक्ट्री मालिक विवेक कुमार एवं आदि के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशानुसार टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त समिति गठित की गयी है, जिसके द्वारा स्थल के भ्रमणोपरान्त वास्तविक रिपोर्ट दो माह के अन्दर मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ई-मेल **judicial-ngt@gov.in** पर प्रेषित की जानी है। प्रकरण में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रकरण में अगली तिथि 18.07.2023 नियत है।

अतः मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत गठित कमेटी में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की ओर से सदस्य नामित करते हुये, समिति में जिलाधिकारी, आगरा की ओर से सदस्य नामित किये जाने हेतु तद्नुसार पत्रावली जिलाधिकारी, आगरा को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

19/05/23 19/5/23
E.O., TTZA

19/5
नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण

TTZ की ओर से CTP नामित करने हेतु प्रस्तावित।

जिलाधिकारी महोदय, अपनी ओर से सदस्य नामित करना चाहें।

19/5/23
Vice-Chairman &
Member-Convenor, T.T.Z.A., Agra

(17)
शिविर कार्यालय, प.स.
प्राप्ति का दिनांक 20/5/2023

ADM city नामित

23/5/23
जिलाधिकारी,
आगरा

No 2943/TTZ (PMU)
Dtd 01.07.2023

Annex.-3

1198
28/06/23

सेवा में,

सदस्य संयोजक महोदय,
टी0टी0जैड0 अथॉरिटी,
आगरा।

विषय– मा0एन0जी0टी0 द्वारा ओ0सं0–179/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के विषय में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विरूद्ध श्री राजेन्द्र त्यागी, सेवला जाट, आगरा द्वारा असत्य एवं गलत शिकायत की गयी है। श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा फैक्ट्री संचालन करने के एवज में रू0 50,000/– प्रतिमाह की चौथ मांगी जा रही थी, जिसे मेरे द्वारा देने से मना करने पर राजेन्द्र त्यागी द्वारा मेरे विरूद्ध शिकायत की गयी। मैंने अपनी फैक्ट्री राजेन्द्र त्यागी की झूठी शिकायतों से परेशान होकर मेरे द्वारा पूर्व में ही दिनांक 19.05.2023 को अपनी फैक्ट्री को बन्द कर दिया गया है तथा उसमें स्थापित समस्त उपकरण यथा–मोटर्स आदि को पूर्व में ही हटाया जा चुका है। मेरे द्वारा फैक्ट्री में किसी प्रकार का लकड़ी, कोयला आदि का प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि फैक्ट्री को विद्युत से संचालित किया जाता था, जिससे कार्य के दौरान किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। मेरे फैक्ट्री में तार को मशीनों द्वारा पतला किया जाता था, जो कार्य होता था वह मेटल वायर ड्राइंग (कोल्ड प्रोसेस) द्वारा किया जाता था। मेरे भवन का कुल एरिया लगभग 390 वर्गगज है, जिसमें 04 कमरे व एक बेसमेन्ट हॉल निर्मित हैं। कार्य के लिए कॉमर्शियल सिलेण्डर से मात्र वायर को पतला करने का कार्य किया जाता था जबकि अन्य सभी कार्य बिजली से किये जाते थे। मेरी फैक्ट्री में 18 किलो वाट का विद्युत कनेक्शन स्थापित था, जिसे टोरण्ट पॉवर लि0 द्वारा विच्छेदित कर दिया गया है। मेरी फैक्ट्री वर्तमान में भी बन्द चल रही है तथा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे भवन का भू–उपयोग आवासीय है। मैं और मेरा परिवार फैक्ट्री को बन्द करने के कारण पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है।

अतः श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मेरे विरूद्ध की गयी झूठी शिकायत के विरूद्ध शिकायतकर्ता के विरूद्ध उच्च कार्रवाई की जाये, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी की झूठी शिकायत न कर सके।

दिनांक : 28.06.2023

CTP (TTZ)

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा 30/6/23

प्रार्थी
विवेक
(विवेक कुमार)
श्री सुरेन्द्र अग्रवाल,
नि0–सेवला जाट, त्यागी नगर,
आगरा।

8445808412
28/6/2023

Annex.-4

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
TC-12V, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Ref. No. G 29267/ C-4/ सा० 62/2019 Date- 09/01/19

Pursuant to the modified direction under section- 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under RED/ORANGE/GREEN/WHITE categories vide letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 Dated 07-03-2016 circulated final report on revised categorization of industrial sectors under RED/ORANGE/GREEN/WHITE has been evolved on the basis of range of Pollution Index. 'Categorization' is based on the relative pollution potential of the industrial sectors and grouping of the industrial sectors based on the use of raw materials, manufacturing process adopted and pollutants likely to be generated.

- Industrial Sectors having Pollution Index Score of 60 and above - Red category
- Industrial Sectors having Pollution Index Score of 41 and 59 - Orange category
- Industrial Sectors having Pollution Index Score of 21 and 40 - Green category
- Industrial Sectors having Pollution Index Score of incl. & up to 20 - White category

Whereas based on relative Pollution Index, the number of industries in various categories are as under-

i. The Red category of industrial sectors: 60
ii. The Red category of industrial sectors: 83
iii. The Red category of industrial sectors: 63 and
iv. The Newly introduced White category: 36

Further CPCB issued direction under section- 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide its letter no. B-29012/MSMEs/IPC-VI/2017-18/ 12189-12230 dated 02.11.2018 that "SPCBs/PCCs shall issue the expanded list of green and white categories of industries incorporating new/left over industrial sectors, which are being operated in their State/UT within a month"

Incompliance of the directions a committee of Senior Engineers and Scientist of UPPCB was constituted and identification of new Green and White industrial sectors which do not fall under any of the above Green and White categories has been done and sent to CPCB vide letter dated 12.12.2018. Member Secretary, CPCB has emphasized vide its letter no. 29012/IPC-VI/2018-19 dated 04.01.2019 that further action of expansion of the list is to be carried out by UPPCB itself. Hence the identified list of Green category-28 industrial sectors and White category-156 industrial sectors have been identified and being presented in table- I & II respectively (given below) :-

Table- I, Green Category Left out sectors in the CPCB categorization.

S. No	Industry Sector	W1	W2	W	A1	A2	A	H	W+A+H	Tentative Category	REMARKS
1	Gas Genset of capacity > 1 MVA but < 5 MVA	--	--	--	10	--	10	--	25	G	DG set of capacity > 1 MVA but < 5 MVA has been scored 20 in A1 (i.e. A1C) in CPCB categorization, while a score of A1 to be 10 (i.e. A1E) in case of gas generator is provided and accordingly may be categorised in Green category.
2	Bakery and confectionery units with production capacity > 1 TPD. (With gas based ovens / furnaces or based on electricity)	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
3	Chanachur and ladoo from puffed and beaten rice(muri and shira) using Gas fired /electric oven	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
4	Flakes from rejected PET bottle using gas as fuel	21	--	20	10	--	10	--	37.5	G	

90	Manufacting of bidi, cigar, charoot, zarda, chewing tobacco, allied products (manually)									W
91	Paper stamp, paper cones, paper napkins Paper Pins, 'U' Clips, pen Holders, Paper product, stationary, cone, cups, saucers, plates, envelope, dolls, toys, printing and publishing of books, computer stationary, card printing (only dry process)									W
92	Washing powders (manual mixing)									W
93	Wooden carpentry work, doors, windows, frame boxes, packing cases and furniture, fixtures, trays, rolls structural and allied products									W
94	Niwar tape, lade and other yarn products (weaving only)									W
95	Sheet metal fabrication									W
96	Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only)									W
97	Belts, nuts, scrown (machining only)									W
98	Balances (assembling)									W
99	Steel furniture, sofas, vaults, almirahs, trunk, drum, tanks, container, rolling shutters (sheet metal work)									W
100	Electric motors & alternators (assembling work)									W
101	Calculating machine and computers (assembling)									W
102	Bags, briefcase / suitcase, beddings, purse, belts (stiching)									W

Note No.1: The exemption from obtaining consent of the Board under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous Waste Management Rules, 2016 for the above mentioned 156 White Category of industries, if the unit satisfies the following conditions:-

i) That the industry is established/being established in the demarcated Industrial Estates/Zones classified by the State Authorities viz UPSIDC, Department of Industries, Avas Vibhag under draft Master Plan or in mixed category area of predominantly Industrial areas within Municipal limit or a Town/City after classification of the area by other concerned Departments.

ii) That the investment of the industry is not more than Rs. 5 Crore on plant and machinery.

iii) That there will not be any discharge of trade effluent from the industry into steam or well or sewer or onto land and/or that industry will not discharge any air pollution including noise into the atmosphere.

iv) That the industry will not discharge any toxic/hazardous wastes and will not handle any toxic/hazardous chemical.

v) All such units identified as "Producers" under the provisions of The Plastic Waste Management Rules, 2016 i.e. that is persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity shall comply with "Extended Producer's responsibility for environmentally sound management of the product until the end of his life.

In case industry is found to create conditions that generate any type of pollution or if there is any objection from the surrounding community and if on verification, it is found that such objection has some substance, the Board shall be at liberty to take legal action against the industry under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 or Environment (Protection) Act, 1986 as considered appropriate.

Note No.2: The industries which falls under white category of industries and have installed DG set of capacity more than 15 KVA and less than 1 MVA, such industries shall obtain consent only for the DG set under green category.

(Ashish Tiwari)

Member Secretary

Annex-5

माoराष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0,
आगरा।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा।

पत्रांक : 164 /TTZ(PMU)/OA_179/23/2023 दिनांक : 16 /06/2023

विषय— **माoराष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0—179/2023 (राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28—04—2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित शिकायती—पत्र दिनांक 17.09.2022 में यह शिकायत की गयी है कि उनके घर के सामने विवेक कुमार द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिजली की केबिल तार एल्युमीनियम एवं कॉपर के तारों को जलाकर एवं गलाकर चैन बनाकर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। इस अवैध फैक्ट्री में दिन—रात मशीनों, भट्टियों में बिजली चोरी कर, घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं कोयला से बड़ी—बड़ी भट्टियों में चोरी के केबिल, बिजली के तार आदि को जलाकर—गलाकर नए बिजली के तार चैन आदि का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा धुंआ, प्रदूषण, गन्ध एवं कैमिकल के उपयोग से उनके तथा उनके परिवारजनों सहित काफी लोगों को सांस लेने एवं शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। इस अवैध फैक्ट्री के धुएँ, प्रदूषण आदि से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई गम्भीर बीमारियाँ पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है।

अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी के उक्त संदर्भित शिकायती पत्र के क्रम में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0—179/2023 के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं—

"...... 3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of image PDF.
4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.
5. List for further consideration on 18.07.2023."

तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0अधिकरण के उक्त आदेशानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.06.2023 को प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया है कि शिकायतकर्ता के उक्त शिकायती—पत्र दिनांक 17.09.2022 में उल्लिखित कथन कि उपरोक्त प्रश्नगत स्थल पर किये जा रहे कार्यों की प्रक्रिया से उत्पन्न धुंआ, प्रदूषण, गन्ध एवं कैमिकल के उपयोग से उनके तथा उनके परिवारजनों सहित काफी लोगों को सांस लेने एवं शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। इस अवैध फैक्ट्री के धुएँ, प्रदूषण आदि से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई गम्भीर बीमारियाँ पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है, के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से यह ज्ञात कर लिया जाये कि प्रश्नगत स्थल पर उक्त कार्य किये जाने के परिणामस्वरूप स्थल के पास निवासित लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समस्यायें आयी हैं अथवा नहीं। यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें आयीं हैं तो वह किस प्रकार की हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि शीघ्रशीघ्र यह अवगत कराने का कष्ट करें कि प्रश्नगत स्थल त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में विवेक कुमार द्वारा किये जा रहे उपरोक्त कार्यों के परिणामस्वरूप स्थल के पास आवासित जनसामान्य को स्वास्थ्य सम्बन्धी किस प्रकार की समस्यायें आयीं हैं। चूंकि प्रकरण मा0अधिकरण से आच्छादित समयबद्ध प्रकृति का है, इसलिए प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें ताकि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मा0अधिकरण के समक्ष अगली सुनवाई की तिथि 18.07.2023 से पूर्व प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0।

प्रतिलिपि—

1. उपाध्यक्ष महोदय, आ0वि0प्रा0/सदस्य—संयोजक, टी0टी0जैड0प्रा0, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. डॉ0(सुश्री) सत्या, अपर निदेशक/साईन्टिस्ट—ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0।

Annex.-6

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक (प्र0 / नोडल अधिकारी)
टी0टी0जैड0 प्र0,
आगरा।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / टी0टी0जैड0 / जांच / 2023–24 / 7610 दिनांक 03.07.2023

विषय– टी0टी0जेड0 प्राइवेट, आगरा द्वारा संदर्भीत त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में विवेक कुमार द्वारा किये जा रहे कार्यों के प्रकरण सम्बन्धित जांच आख्या।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र सं0–164 / टी0टी0जेड0 / पी0एम0यू0 / ओ0ए0 179 / 23 दिनांक 16.06.2023 के प्रकरण क्रम में स्वास्थय विभाग, आगरा द्वारा एक जांच समिति गठित कर दिनांक 30.06.2023 को उपरोक्त प्रकरण स्थल पर विशेष जांच व सर्वे सम्पन्न किया गया तथा जांच के उपरांत जांच आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंग्नक– उपरोक्तानुसार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

पत्रांक व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मंडल, आगरा
4. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

जांच आख्या

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

आगरा।

विषय— टी0टी0जेड0 प्राइवेट, आगरा द्वारा संदर्भीत त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में विवेक कुमार द्वारा किये जा रहे कार्यों के प्रकरण सम्बन्धित जांच आख्या।

महोदय,

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के पत्र सं0— 7253/2023 दिनांक 24.06.2023 के द्वारा मुख्य नगर नियोजक (प्रा0)/नोडल अधिकारी टी0टी0जेड0 प्रा0, आगरा के पत्र सं0— 164/टी0टी0जेड0/पी0एम0यू0/ओं0ए0 179/23 दिनांक 16.06.2023 के प्रकरण के क्रम में प्रशनगत स्थल त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में विवके कुमार द्वारा किये जा रहे उपरोक्त कार्यो प्ररिणाम स्वरूप स्थल के पास आवासित जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी हाने वाली समस्याओं की जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जांच कमेटी द्वारा दिनांक 30.06.2023 को वर्णित तथ्यों का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें कथित फैक्ट्री में संचालित गतिविधियों का उसके आस—पास निवासित जनसख्या पर स्वास्थय प्रभावों का सर्वेक्षण/मूल्यांकन करने हेतु एक विशेष चिकित्सा शिविर जिसमें चिकित्सीय टीम के साथ पैरामेडीकल स्टाफ व स्थानिय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया गया व लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु पैरामेडीकल संस्थानों के छात्रों का सहयोग लेते हुये फैक्ट्री की 250 मी0 की परिधी में स्थित घरों का डोर टू डोर सर्वे कराया गया जिसमें छात्रों के द्वारा घरों के सदस्यों से विगत 03 से 04 वर्षों में उनके घर के किसी भी उम्र के किसी भी सदस्य में कोई आक्समिक बिमारी (श्वास रोग, त्वचा रोग, गैर संचारी रोग आदि) की उत्पत्ति या किसी भी सदस्य की किसी बिमारी की वजह से आक्समिक मृत्यू के बारे में विस्तृत रूप से पता लगाया गया ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 30.06.2023 को संचालित करी गयी विशेष स्वास्थ्य सर्वे गतिविधि में लगभग 80 घरों में लगभग 170 लोगो का स्वास्थ्य सम्बन्धित सर्वे किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः—

1. उपरोक्त सर्वे में कथित फैक्ट्री के आस—पास रह रहे लोगों में विगत 03 से 04 वर्षो में किसी भी उम्र के किसी भी सदस्य में कोई आक्समिक बिमारी (श्वास रोग, त्वचा रोग, गैर संचारी रोग आदि) की उत्पत्ति या किसी भी सदस्य की किसी बिमारी की वजह से आक्समिक मृत्यू की जानकारी प्राप्त नही हुयी।
2. उपरोक्त सर्वे के दौरान कथित फैक्ट्री तालाबंद मिली।
3. दिनांक 30.06.2023 को किये गये सर्वे के दौरान टीम को फैक्ट्री के पास की नालियों में भी किसी प्रकार के संदिग्ध रसायन की उपस्थिति/प्रवाह/गंध के प्रमाण नही मिले।

अतः जांच समिति द्वारा दिनांक 30.06.2023 को किये गये सर्वे/जांच में कथित फैक्ट्री में संचालित गतिविधियों से फैक्ट्री के पास रह रहे लोगों के स्वास्थय पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव के प्रमाण नही मिले।

जांच आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर) 03/07/2023
श्री कमल सिंह
डी0पी0पी0एम0सी0,आगरा

(हस्ताक्षर)
डा0 मनीष धर्मेश
चि0अ0,आगरा

(हस्ताक्षर) 3/7/23
डा0 पियूष जैन
उप मु0चि0अ0,आगरा

Annex.-7

माoराष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

पत्रांक : 165 /TTZ(PMU)/OA_179/23/2023 दिनांक : 16/06/2023

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–179/2023 (राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28–04–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित शिकायती–पत्र दिनांक 17.09.2022 में यह शिकायत की गयी है कि उनके घर के सामने विवेक कुमार द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिजली की केबिल तार एल्युमीनियम एवं कॉपर के तारों को जलाकर एवं गलाकर चैन बनाकर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। इस अवैध फैक्ट्री में दिन–रात मशीनों, भट्टियों में बिजली चोरी कर, घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं कोयला से बड़ी–बड़ी भट्टियों में चोरी के केबिल, बिजली के तार आदि को जलाकर–गलाकर नए बिजली के तार चैन आदि का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा धुंआ, प्रदूषण, गन्ध एवं कैमिकल के उपयोग से उनके तथा उनके परिवारजनों सहित काफी लोगों को सांस लेने एवं शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। इस अवैध फैक्ट्री के धुएँ, प्रदूषण आदि से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई गम्भीर बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा पैदा हो गया है।

अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी के उक्त संदर्भित शिकायती पत्र के क्रम में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–179/2023 के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

> **"...... 3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.**
> **4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.**
> **5. List for further consideration on 18.07.2023."**

तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0अधिकरण के उक्त आदेशानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.06.2023 को प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया है कि विषयगत शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के स्तर से कृत सम्पूर्ण कार्यवाही ज्ञात कर ली जाये।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अवगत कराने का कष्ट करें कि प्रश्नगत स्थल त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के सम्बन्ध में पूर्व में शिकायती प्रकरण में आपके स्तर से कृत सम्पूर्ण कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण मा0अधिकरण से आच्छादित समयबद्ध प्रकृति का है, इसलिए प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें ताकि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मा0अधिकरण के समक्ष अगली सुनवाई की तिथि 18.07.2023 से पूर्व प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0।

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदय, आ0वि0प्रा0/सदस्य–संयोजक, टी0टी0जैड0प्रा0, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. डॉ0(सुश्री) सत्या, अपर निदेशक/साईन्टिस्ट–ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/
नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0प्रा0।

Email:roagra@up... **Annex.-8**

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 660 /ओजी–686/2023 दिनांक – 30 /06/2023

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक(प्र0),
नोडल अधिकारी, टी0टी0जेड प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–179/2023(राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक टी0टी0जेड0 प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक 165/टीटीजेड(पीएमयू)/ओ0ए0–179/23/2023 दिनांक 16.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के स्तर से की गई कृत कार्यवाही की आख्या चाही गयी है।

अवगत कराना है कि श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 13.09.2022 को की गई शिकायत आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त है, तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण एवं आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण पत्र के साथ संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

30/6/23

क्षेत्रीय अधिकारी

Annex.-8a

सन्दर्भ संख्या : 92214600037575 **सन्दर्भ का प्रकार :** शिकायत

आवेदनकर्ता का विवरण

नाम	राजेन्द्र त्यागी	**पिता/पति का नाम**	..
मोबइल नंबर(१)	9412895153	**मोबइल नंबर(२)**	---
ई-मेल	---	**आधार कार्ड न.**	---
पता	तहसील-आगरा जिला-आगरा		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक का नाम राजेंद्र त्यागी , मोहाले का नाम त्यागी नगर , स्थान शेवला जाट , फैक्ट्री का नाम त्रिमूर्ति वायर एंड चेन , शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया की आवेदक के मोहल्ले में अवैध रूप से एक फैक्ट्री संचालित है जहाँ से काला धुआ निकलता है जिससे वायु प्रदूषित होता है लोगो को सांस लेने में समस्या होती है आवेदक इसकी जाँच कर फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते है कृप्या जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाये		
संदर्भ दिनांक	13-09-2022	**पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)**	
विभाग	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	**शिकायत श्रेणी**	प्रदूषण नियंत्रण
स्रोत	---	**प्रकृति**	---
स्तर	---	**पद**	---

मुख्यमंत्री कार्यालय/लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	

आवेदक द्वारा दिया गया फीडबैक

स्पेशल क्लोज विवरण

सन्दर्भ पर कार्यवाही की स्थिति : निस्तारित

अग्रसारित विवरण :

क्र.स.	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	आख्या दिनांक	आख्या रिपोर्ट	स्थिति	संलगनक
1	29-09-2022	23-09-2022	जिलाधिकारी-आगरा,		30-09-2022	आख्या श्रेणी - विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं महोदय प्रकरण अन्ये विभाग से संबंधित होने के कारण वापस	निस्तारित	

अग्रसारित विवरण :

क्र.स.	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	आख्या दिनांक	आख्या रिपोर्ट	स्थिति	आपत्ति देखे	संलगनक
1	29-09-2022	23-09-2022	जिलाधिकारी-आगरा,		30-09-2022	आख्या श्रेणी - विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं महोदय प्रकरण अन्ये विभाग से संबंधित होने के कारण वापस	निस्तारित		

श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैद्य रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

आपके आदेशानुसार शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के अद्योहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया है। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर अवैद्य रूप से तार का कारखाना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर श्री अमरीश त्यागी एवं इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवके अग्रवाल उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में लगभग 10–15 ऐसी ही इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर मै0 तिरूपतिवायर एण्ड चैन्स 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा पर इकाई संचालित की जा रही है तथा आस–पास के क्षेत्र में भी अन्य ऐसी इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्कैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्रांइग का कार्य किया जाता पाया गया। इकाई में 01 नग भट्टी स्थापित है। जिसमें ईधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता है। इकाई में भट्टी के संचालन से तथा कास्टिंग प्रक्रिया से धुंआ निकलना स्वाभाविक है, जो कि आस–पास के क्षेत्र में फैलता है, शिकायती स्थल पर इकाई के संचालन हेतु मै0 टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा एल0एम0वी0 6 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है। उक्त इकाई के संचालन से आस–पास के निवासियों को न्यूसेंस होना स्वाभाविक है। फेरस एवं नॉन–फेरस मैटल की मेल्टिंग एवं कास्टिंग को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की विभाजन श्रेणी में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा स्थापनार्थ/संचालनार्थ कोई अनुमति प्रदान निर्गत नहीं की गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 320/1994 में दिनांक 20.01.1997 को विद्युत विभाग को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त किये स्थापित उद्योगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"The State Electricity Board should also be asked to ensure that permission for electricity connection/augmentation be not given to the industries without NOC from the State Pollution Control Board"

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक–70/7/मु0अभि0(वा एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 (संलग्न) के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं–

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किया जायें।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के अलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शिकायत का निराकरण हेतु आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध वायु प्रदूषणकारी इकाईयों के विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु टोरेंट पावर लि0, आगरा को संदर्भित किया जाना उचित होगा। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Sunil 17/09/2022
(सुशील कुमार)
जे0आर0एफ0

Shravan 17/09/22
(श्रवण कुमार)
प्रयो0 सहा0

सहा0 वैज्ञा0 अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

AEO

19/9/22

Annex.-8c

e-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक:- 651/05-27/2022 दिनांक:- 17/09/2022

शिकायती प्रकरण

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
मै0 टोरण्ट पावर लि0,
6, रघुनाथ नगर, एम0जी0 रोड़,
आगरा-282002

विषय- श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0-4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैद्य रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0-4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर अवैद्य रूप से तार का कारखाना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के क्रम शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों के द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर श्री अमरीश त्यागी एवं इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवके अग्रवाल उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में लगभग 10-15 ऐसी ही इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर मै0 तिरूपतिवायर एण्ड चैन्स 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा पर इकाई संचालित की जा रही है तथा आस-पास के क्षेत्र में भी अन्य ऐसी इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्कैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य किया जाता पाया गया। इकाई में 01 नग भट्टी स्थापित है। जिसमें ईधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता है। इकाई में भट्टी के संचालन से तथा कास्टिंग प्रकिया से धुंआ निकलना स्वाभाविक है, जो कि आस-पास के क्षेत्र में फैलता है, शिकायती स्थल पर इकाई के संचालन हेतु मै0 टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा एल0एम0वी0 6 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है। उक्त इकाई के संचालन से आस-पास के निवासियों को न्यूसेंस होना स्वाभाविक है। फेरस एवं नॉन-फेरस मैटल की मेल्टिंग एवं कास्टिंग को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की विभाजन श्रेणी में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा स्थापनार्थ/संचालनार्थ कोई अनुमति प्रदान निर्गत नहीं की गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 320/1994 में दिनांक 20.01.1997 को विद्युत विभाग को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त किये स्थापित उद्योगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

"The State Electricity Board should also be asked to ensure that permission for electricity connection/augmentation be not given to the industries without NOC from the State Pollution Control Board"

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक-70/7/मु0अभि0(वा एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 (संलग्न) के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं-

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर-टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किया जायें।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर-टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के अलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. अपर जिलाधिकारी (नगर) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित ए0सी0एम0 की अध्यक्षता के समिति गठित कर आवासीय क्षेत्र में संचालन के अवैद्य वायु प्रदूषणकारी इकाईयों के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश करने का कष्ट करें।
2. श्री राजेन्द्र त्यागी, वार्ड नं0-4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

E-mail:-roagra@... **Annex.-8d**

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या 14, सेक्टर–3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 678 /ओजी–27/2022 दिनांक –23 /09/2022

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(नगर),
आगरा।

विषय : **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करते हुये ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (टी0टी0जेड0) में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की सांठ–गांठ से संचालित अवैध फैक्ट्री को बन्द कराए जाने एवं दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री राजेन्द्र त्यागी, निवासी–त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के पत्र दिनांक 17.09.2022 पर जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन संख्या 2570/E दिनांक 17.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उनके द्वारा त्यागी नगर, आगरा में अवैध रूप से तार का कारखाना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। अवगत कराना है कि उक्त शिकायत पूर्व में इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। जिसके कम में शिकायती स्थल का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया है, निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्ठी(28 नं0 कोठाली) में जिंक स्कैप्स की मेल्टिंग कर कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य किया जाता पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता पाया गया जोकि आवासीय क्षेत्र है। फेरस एवं नॉन फेरस मेटल की मेल्टिंग/कास्टिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगो की विभाजन श्रेणी में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है जिसके संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल/वायु) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के समय ईकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में लगभग इसी प्रकार की 10 से 15 ईकाइयाँ संचालित हैं।

'मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 320/1994 में दिनांक 20.01.1997 को विद्युत विभाग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त किये स्थापित उद्योगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

"The State electricity Board should also be asked to ensure that permission for electricity connection/augmentation be not given to the industries without NOC from the State Pollution Control Board"

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक–70/7/मु0अभि0 (वा एवं ऊ0ले0) राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किया जायें।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के अलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 651/ओजी–27/2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा महाप्रबन्धक, टोरण्ट पावर लि0 को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

कृ0प0उ0

अतः उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि उक्त उपरोक्त शिकायत के निस्तारण हेतु सम्बन्धित ए0सी0एम0 की अध्यक्षता में समिति गठित कर आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैद्य वायु प्रदूषणकारी इकाईयों के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, टोरेन्ट पावर लि0, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर प्रेषित।

23/9/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH 68AE 525884

समक्ष – श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)
आगरा

शपथपत्र मिन जानिब विवेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी खेरिया मोड तहसील व जिला आगरा

मै शपथपूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ–

1. यह कि मै उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा त्यागी नगर सेवला जाट तहसील व जिला आगरा में पीतल के तार को पतला करने का कारखाना है जो मेटल वायर ड्रांइग में आता है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नही होता है जिसकी जॉच उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा द्वारा की गई थी जहॉ पर मेरे तार को पतले करने के कारखाना में विभाग की टीम को कोई भी धुआ, लकडी, कोयला इत्यादि का कोई भी प्रदूषण मौके पर नही मिला ।
3. यह कि मेरे द्वारा उक्त स्थल पर तार को पतला करने का कारखाना मेटल वायर ड्रॉइंग संचालित किया जा रहा है मेटल वायर ड्रॉइंग कोल्ड प्रोसिस के द्वारा किया जाता है जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 09–01–2019 के अन्तर्गत गैर प्रदूषणकारी की श्रेणी के अन्तर्गत आता है । जो कि सफेद श्रेणी में क्रम संख्या 96 पर अंकित है।

Vivek

4— यह कि मै उक्त कारखाना में पीतल का तार मशीनों के द्वारा पतला करता हूँ और उक्त कार्य मेरे द्वारा पूर्ण विधि पूर्वक किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी धुये का प्रदूषण आदि नही होता है और मेरे कारखाने में किसी भी प्रकार की भटटी लकडी या कोयले का इस्तेमाल नही किया जाता है और सभी कार्य पूर्ण नियमानुसार किये जाते है ।

5— यह कि उक्त कारखाने की बावत एक झूठी शिकायत राजेन्द्र त्यागी द्वारा की गई है जो कि गलत है और गलत इरादे से मुझे परेशान करने की नीयत से की गई है ।

6— यह कि मेरे कारखाने की जॉच किसी भी सक्षम अधिकारी से कराई जाये ताकि सत्यता का पता चले और शपथकर्ता के विरूद्ध जो गलत इरादे से शिकायत की जा रही है उसका निवारण हो सके । उक्त कारखाने से शपथकर्ता व उसके परिवार का जीवनयापन होता है और यही उसकी रोजी रोटी है।

7— यह कि शपथकर्ता का उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उधोग की श्रेणी के क्रम संख्या 96 पर अंकित है जो कि गैर प्रदूषण की सफेद श्रेणी में है।

8— यह कि उक्त शिकायत की जल्द से जल्द मौके पर जॉच की जाये और उसका निस्तारण किया जाये ताकि प्रार्थी अपना कारखाना बना किसी झूठी शिकायत के दबाब में आये आसानी से चला सके और अपना व अपने परिवार का जीवनयापन सुगमता पूर्वक कर सके ।

9— यह कि आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी के कारखाने का विधुत कनैक्शन न काटा जाये।

शपथपत्र की मद 1 लगायत 9 तक सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है सत्यापन आज दिनांक 31—10—2022 को किया गया।

Vivek

शपथकर्ता

प्रतिलिपि—

1— श्रीमान अपर जिला अधिकारी (नगर) आगरा

2— श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

भवन संख्या 14 से0 3बी आवास विकास कोलोनी सिकन्दरा योजना आगरा

3— श्रीमान महाप्रबन्धक महोदय,

टोरण्ट पॉवर लि0 फतेहाबाद रोड आगरा

Explained to
Read By
Identified by

10/11/22

Annex.-8f

सेवामें

श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) आगरा

महोदय

निवेदन यह है कि मैं विवेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी – खेरिया मोड आगरा अपना कारखाना जो पीतल के तार को पतला करने का कारखाना है। जो मेटल वायर ड्रॉइग में आता है मेरे कारखाने में किसी भी प्रकार का लकडी , कोयला का प्रयोग नही होता है और नाही किसी तरह का कोई धूॅआ होता है। कृपाया मेरी कारखाने की पुनः जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाये ताकि सत्यता का पता चले प्रार्थी के विरूद्व जो गलत इरादे से शिकायत की जा रही है। उसका निवारण हो सके। प्रार्थी का उक्त कार्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड द्वारा जारी उद्योग की श्रेणी के कम संख्या 96 पर अंकित है जो कि गैर प्रदूषण की सफेद श्रेणी में है। प्रार्थी के कारखाने से प्रार्थी के परिवार.का जीवन यापन होता है। यही इसकी रोजी रोटी है।

दिनांक –02/11/2022

प्रार्थी

Vivek

विवेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र अग्रवाल

निवासी – खेरिया मोड आगरा

मो0– 9837033690

प्र० 682/ACM IV

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा
~~आवास विकास सिकंदरा योजना आगरा~~
प्राप्त पत्रावली का
अवलोकन करें एवं
नियमानुसार कार्यवाही करें।

(हस्ताक्षर) अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) आगरा

AEO / SA(A)
उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड
अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
14/11/22

Annex.-8g

e-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–1185/06-27/2022 दिनांकः– 22 /11/2022

सेवा में,

अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ,
आगरा।

विषय– **श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैद्य रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि उक्त शिकायती प्रकरण पर पुनः स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रतिनिधि के रूप में श्री सूरज सिंह जादौन पुत्र श्री दिनेश सिंह जादौन (मुंशी) उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायती स्थल पर पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्क्रैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्रांइग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में बाहर से कॉर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्शर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रकिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार क्रम सं0–96 पर सफेद श्रेणी पर अंकित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। स्थल के पूरब दिशा में खाली प्लाट, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट, उत्तर दिशा में मकान एवं दक्षिण दिशा में सड़क व खाली प्लाट पाया गया। इकाई में समस्त कार्य वेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में किया जाता है। जल आपूर्ति हेतु 01 एच0पी0 क्षमता का समरसेबिल स्थापित है। जल का प्रयोग घरेलू प्रक्रिया में किया जाता है। जिसके शोधन हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है। इकाई द्वारा वर्तमान में वायु प्रदूषण के श्रोतों को परिसर से हटा लिया गया है। इकाई में विद्युत आपूर्ति टोरेंट पावर लि0, आगरा द्वारा एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रोपराइटर श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रकिया न किये जाने का शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022 प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शिकायती प्रकरण को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

22/11/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैद्य रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।

आपके आदेशानुसार शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के अद्योहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 16.11.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रतिनिधि के रूप में श्री सूरज सिंह जादौन पुत्र श्री दिनेश सिंह जादौन (मुंशी) उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायती स्थल पर पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्क्रैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में बाहर से कॉर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्शर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रकिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार कम सं0–96 पर सफेद श्रेणी पर अंकित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। स्थल के पूरब दिशा में खाली प्लाट, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट, उत्तर दिशा में मकान एवं दक्षिण दिशा में सड़क व खाली प्लाट पाया गया। इकाई में समस्त कार्य वेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में किया जाता है। जल आपूर्ति हेतु 01 एच0पी0 क्षमता का समरसेविल स्थापित है। जल का प्रयोग घरेलू प्रकिया में किया जाता है, जिसके शोधन हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है। इकाई द्वारा वर्तमान में वायु प्रदूषण के श्रोतों को परिसर से हटा लिया गया है। इकाई में विद्युत आपूर्ति टोरेंट पावर लि0, आगरा द्वारा एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रोपराइटर श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रकिया न किये जाने का शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022 प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शिकायती प्रकरण को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

21.11.22
(एस0डी0 सिंह)
अनु0 सहा0

21/11/22
(क्षितीश पटेल)
सहा0 वैज्ञा0 अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

22/11/22

Annex.-8h

E-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–1263/ओजी–27/2022 **दिनांकः–22 /12/2022**

IGRS

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय– श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैंस 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2022, 10.12.2022, 13.12.2022 एवं 16.12.2022 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें। शिकायतकार्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इकाई से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में की गई शिकायत कार्यालय में दिनांक 14.08.2022 को प्राप्त है। शिकायती स्थल का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया। तत्कम में कार्यालय के पत्रांक सं0–651/ओजी–627 /2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा मै0 टोरेन्ट पावर कोर्पोरेशन लि0 को विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्न)। इकाई प्रतिनिधि श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रकिया न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के पृष्ठांकन संख्या–682/एसीएम–4 दिनांक 03.11.2022 कार्यालय में प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। तत्कम में शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 22.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई में वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत स्थापित नहीं पाया गया (छायाप्रति संलग्न)। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को इकाई में वायु प्रदूषणकारी कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पुनः शिकायत की गयी है। उक्त के कम में शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं मै0 टोरेन्ट पावर कॉर्पोरेशन लि0 के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 13.12.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक अग्रवाल एवं शिकायतकर्ता के भाई श्री अमरीश त्यागी उपस्थित थे। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में समस्त कार्य बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में बाहर से कॉर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्शर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषणकार स्त्रोत भट्ठी (कुठाली) स्थापित नहीं पायी गयी।

कृ0प0उ0

अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रक्रिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार सफेद श्रेणी में अच्छादित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। इकाई आगरा विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत रिहायशी क्षेत्र वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट में स्थापित है। जिसमें मै0 टोरेंट पावर लि0 द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्रांतर्गत स्थित है।

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3– 2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग /स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा की गई कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–50014622000972, 73146220002115 का निस्तारण किया जा सके।

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

22/12/22

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल आगरा को आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या–500 14622000972 के कम में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या–731462200021 15 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप जिलाधिकारी, सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

This PC/Drive-D/2017/Kalsabil.otter

Annex.-8i

Court no. 29

Civil Misc. Writ Petition No. 34957 of 2003
Smt. Mithlesh Jain vs. State of U.P. and others.

Hon'ble M. Katju, J.
Hon'ble R.S. Tripathi, J.

Standing Counsel and Sri Pankaj Mittal may file counter affidavit within three weeks.

Issue notice to respondent no. 4 returnable at an early date.

The point raised in this writ petition is of great importance throughout the State of U.P. and perhaps in many other States as well. The grievance of the petitioner is that commercial activities are being permitted in the residential area of Agra.

We have had occasion to deal with such kind of complaints in earlier petitions which came up before us. For example in R.K. Mittal vs. State of U.P. and others 2002 (1) UPLBEC 444 we have held that no commercial and industrial activity can be carried out in the areas earmarked for residential purpose in the NOIDA Master Plan. We are informed that in a large number of cities e.g. Lucknow, Agra, Kanpur etc. commercial and industrial activities are being carried on in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city. In our opinion this is wholly illegal. The rules have to be followed, otherwise the rule of law will collapse in the country. If there are rules they must be obeyed, otherwise the rule should be scrapped. We have held in R.K. Mittal vs. State of U.P. (Supra) that there is widespread malady which has infected our society, namely, that the people who are having money and power think that they are above the law. This notion is totally destructive of the Rule of the Law and can no longer be tolerated by this Court. Everyone is under the Law.

In the present petition it has been stated in paragraphs 5 and 6 that in the residential area a shopping complex is being constructed and other commercial activities are proposed. In our opinion this is clearly illegal. We, therefore, direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the Master Plan of Agra or of in any other city in U.P. If commercial

and industrial activities are being carried on in any city in U.P. in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city such activity must immediately be stopped by the authorities.

Although this petition was only regarding Agra city we have decided to extend its scope suo motu to other cities in U.P. because we are informed that similar illegalities are being committed there too.

Let a copy of this order be sent by the Registrar General of this Court to the Chief Secretary, U.P. forthwith who will ensure compliance of this order. Learned Standing Counsel shall also send a copy of this order to the Chief Secretary, U.P.

Let a copy of this order be given to the learned Standing Counsel today free of charges. Sd/- M. Katju

Alld: Dt: 13.8.2003 Sd/- R.S. Tripathi

TRUE COPY

Copying Section

High Court, Allahabad

13/8/03

Annex.-8j

e-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 1312 /ओजी-27/2023 दिनांकः– 09 /01/2023

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय– **श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैंस 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2022, 10.12.2022,13.12.2022 एवं 16.12.2022 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1263/ओजी–27/2022 दिनांक 22.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा की रिहायशी क्षेत्र में संचालित इकाई से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायत कार्यालय में दिनांक 14.08.2022 को प्राप्त है। पूर्व में शिकायती स्थल का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्रांक संख्या–651/ओजी–627/2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा मै0 टोरण्ट पावर कार्पोरेशन लि0 को विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्न)। इकाई प्रतिनिधि द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रक्रिया न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022 पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के पृष्ठांकन संख्या 682/एसीएम–4 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा कार्यालय में प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। तत्क्रम में शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 22.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई में वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत स्थापित नहीं पाया गया (छायाप्रति संलग्न)। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को इकाई में वायु प्रदूषणकारी कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पुनः शिकायत की गई है। उक्त के कम में शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण अपर जिलाधिकरी(नगर) एवं मै0 टोरण्ट पावर कार्पोरेशन लि0 के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 13.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक अग्रवाल एवं शिकायतकर्ता के भाई श्री अमरीश त्यागी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्थापित 01 नग भट्ठी (28 नं0 कुठाली) तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में समस्त कार्य बाहर से राड खरीदकर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रासेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्सर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत, भट्ठी(कुठाली) स्थापित नहीं पायी गयी।

अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रक्रिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार सफेद श्रेणी में आच्छादित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। इकाई आगरा विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट में स्थापित है। जिसमें मै0 टोरेंट पावर लि0 द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्रांतर्गत स्थित है।

कृ0प0उ0

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–34957/2003(श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003, दिनांक 05.09.2003 द्वारा जारी शासनादेश में आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियो पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल(मि0) इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिसमें शीध्र सुनवाई किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा की गई कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. महाप्रबन्धक, मै0 टोरण्ट पावर लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. उप जिलाधिकारी, सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Court No. - 29

Annex.-8k

Case :- WRIT - C No. - 40287 of 2022

Petitioner :- Rajendra Tyagi
Respondent :- State Of U P And 7 Others
Counsel for Petitioner :- Dinesh Tiwari
Counsel for Respondent :- CSC,Mukesh Kumar Singh,Sandeep Kumar Srivastava

Hon'ble Pritinker Diwaker,Acting Chief Justice
Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

1. Heard Sri Virendra Singh, learned counsel for the petitioner; Sri Ashish Pathak, Adovcate, holding brief of Sri Sandeep Kumar Srivastava, learned counsel for the U.P. Pollution Control Board; Sri Mukesh Kumar Singh, learned counsel for the Agra Development Authority and learned Standing Counsel for the State-respondent.

2. Petitioner is aggrieved by the factory being operated by respondent no.8. According to the petitioner that factory has been located within a residential premise as may not be permitted by the Agra Development Authority. In any case, the factory is causing air and noise pollution which aspect has been ignored by the state pollution authorities.

3. On the other hand, learned counsel for the pollution board has placed on record written instructions received by him that suggest upon the complaint lodged by the present petitioner, the furnace has been removed. A copy of the written instructions thus received has been marked as 'X' and retained on record. It has been further disclosed, at present, wires are being manufactured through cold press method. It is in accordance with law inasmuch as the same is a 'White' category industry.

4. In view of such fact submissions advanced, at present, no interference is warranted. A copy of the written instruction received by learned counsel for the pollution board has been made over to the learned counsel for the petitioner.

5. Accordingly, the present writ petition is **disposed of** at this stage, leaving it open to the petitioner to pursue his remedy where they may lie.

Order Date :- 16.2.2023
Abhilash

(S. D. Singh, J) **(Pritinker Diwaker, ACJ)**

T-23

Annex.-81

कार्यालय प्रवर्तन–अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :– 302 /डी/अ0नि0/23–24

दिनांक : 28/6./2023

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0–14, से0 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा।

विषयः– श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर सेवला जाट, आगरा द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2022, 10.12.2022, 13.12.2022 एवं 16.12.2022 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 1263/ओजी–27/2022 दिनांक 22.12.2022 एवं 1312/ओजी–27/2023 दिनांक 09.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल(मि0) इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल किये जाने पर सुनवाई प्रस्तावित होने के कम में प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया किया गया है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री विवेक अग्रवाल, तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, ग्वालियर रोड, ताजगंज वार्ड, आगरा के विरूद्ध भू–उपयोग के विपरीत तांबे के तार एवं चैन की इकाई संचालित किये जाने एंव स्थल पर स्वीकृति नहीं दिखाये जाने के कम में दिनांक 28.10.2022 को वाद संख्या–भू0प0/एन0एफ0टी0/वी0सी0/01/22–23 योजित किया गया। योजित वाद के कम में फैक्ट्री संचालनकर्ता द्वारा स्थल पर उक्त फैक्ट्री का संचालन बन्द कर दिया गया है। दिनांक 07.06.2023 को स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में स्थल पर वायर फैक्ट्री संचालित नहीं की जा रही है।

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)

प्रतिलिपि– सचिव महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

28.06.23

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)